प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1. जिला ए.सी.बी पाली थाना : ए.सी.बी, सी.पी.एस. जयपुर वर्ष 2023
प्र.इ.रि.सं 270/2023 दिनांक 12/10/2023

2. (1) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (यथा संशोधित 2018), धारायें ....7, 7ए.....

(2) अधिनियम.....भा.द.सं..... धाराये .....120बी.....

(3) अधिनियम .....–..... धारायें.....–.....

(4) अन्य अधिनियम व धाराये.....–.....

3. (अ) रोजनामचा आम रपट .संख्या .....212.....समय.....6:30 PM.....

(ब) अपराध के घटने का दिन–मंगलवार, दिनांक–20.06.2023, समय–02.02पी.एम.।
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक–20.06.2023 समय –12:00 पी.एम.।

4. सूचना किस्म :– लिखित।

5. घटनास्थल :–

(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी :– बरूख उत्तर–पूर्व ब्यूरो चौकी पाली–प्रथम से करीब 20 किमी।

(ब) पता :– पटवार मण्डल जाडन, तहसील मारवाड़ जंक्शन, जिला पाली।

.....बीट सख्या.....–..... जरायमदेही सं...–....

(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो

पुलिस थाना .....–.....जिला.....–.....

6. परिवादी/सूचनाकर्ता :–

(अ) नाम :– श्री जयराम पटेल

(ब) पिता/पति का नाम :– श्री रतनाराम सॉखला

(स) जन्म तिथि :– 47 वर्ष।

(द) राष्ट्रीयता:– भारतीय

(द) पासपोर्ट सख्या.....–..... जारी होने की तिथि .....–.....

जारी होने की जगह .....–.....

(र) व्यवसाय :–प्राईवेट धन्धा।

(ल) पता :– निवासी 126 गौतम नगर, नया बस स्टेण्ड पाली।

7. ज्ञात /अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित :–

1. जुगल कंवर पुत्री श्री सुमेर सिंहउम्र 30 वर्ष पेशा नौकरी निवासी गांव सेवा,तहसील डीडवाना जिला नागौर हाल पटवारी, पटवार मण्डल जाडन तहसील मारवाड जंक्शन, जिला पाली।
2. श्री लक्ष्मण सैन निवासी जाडन तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली (प्राईवेट व्यक्ति)।

8. (शिकायत/इत्तला देने वाले द्वारा, सूचना देने में देरी का कारण) :– शून्य

9. (चोरी हुई सम्पति का विवरण) (यदि आवश्यक हो तो अलग से पृष्ठ नत्थी करें) –

10. चोरी हुई सम्पति का कुल मूल्य :–––

11. (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट) (अप्राकृतिक मृत्यु मामला सं) (यदि कोई हो तो) :–––

12. (प्र0सू0रि0 की विषय वस्तु) (यदि आवश्यक हो तो अलग से पृष्ठ नत्थी करे) :–––

सेवा में,

श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधिक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक बियूरो पाली प्रथम

विषय – रिश्वत लेते रंगे हाथों पकडवाने बाबत्।

महोदय जी,

उपरोक्त विषय मे मुझ प्रार्थी जयराम पटेल पुत्र श्री रतनाराम जी सांखला, जाति कुमावत निवासी 126, गौतम नगर नया बस स्टेड के पास पाली की अर्ज इस प्रकार है कि ग्राम जाडन खालसा में खसरा नंबर 321 मे मेरी खरीदशुदा, रजिस्ट्रीशुदा व मालिकाना हक की कृषि भूमि जिसका क्षेत्रफल 2.5 बीघा है मेरी इस कृषि भूमि के पास ही लगभग 2 हेक्टेयर क्षेत्रफल में बारानी अव्वल किस्म की सरकारी जमीन स्थित है जिसका उपयोग भी मेरे द्वारा ही किया जा रहा है जिस पेटे मेरे द्वारा प्रतिवर्ष 91 की रसीद निर्धारित शुल्क जमा करवाया जाता है मैंने पिछले दो–तीन वर्षों से 91 की रसीद नहीं कटवाई है जिस पर दिनांक 07.06.2023 को जाडन पटवारी जुगल कंवर व पूर्व सरपंच लक्ष्मण सैन मेरी कृषि भूमि पर गए तो मेरे कृषक ने मुझे फोन करके यह बात बताई जिस पर मैंने लक्ष्मण सैन से उनके फोन नंबर 6375746472 पर फोन करके पूछा तो उन्होंने मुझे पटवारी साहब से आकर मिलने का कहा जिस पर मैं दिनांक 08.06.2023 को पटवारी जुगल कंवर से मिलने पटवार भवन जाडन पहुंचा तो पटवारी जी ने मुझे कहा कि आपको 91 की रसीद कटानी है तो खर्चा करना पड़ेगा जिस पर मैंने कहा पटवारी जी आप ही बताओ मुझे क्या करना है तो पटवारी जी ने मुझे कहा कि इस संबंध में आप प्रकाश गुर्जर या लक्ष्मण जी से बात करना मेरे सारे काम वो ही देखते है, जिस पर मैं पटवार भवन जाडन से प्रकाश गुर्जर से मिलने उसके घर गया तो वह घर पर नहीं मिला तो उसके परिजनों से प्रकाश गुर्जर के फोन नंबर लेकर मैंने प्रकाश गुर्जर को फोन करके उसे पटवारी जी वाली बात बताई तो प्रकाश गुर्जर ने कहा कि मैं आपका काम करवा दूंगा पटवारी जी से मेरी बात हो गई है यह काम करवाने के 2.50 लाख रुपए आपको देने पड़ेंगे जिस पर मैंने कहा ठीक है, मैं व्यवस्था करके आपसे मिलता हूं जिसके बाद मै अपने कामकाज में व्यस्त हो गया तो एक दिन लक्ष्मण सैन ने मुझे फोन करके कहा कि आपके 91 की रसीद के बारे में पटवारी जी ने मुझे बताया है वह 2.50 लाख मांग रहे हैं मैं आपके रूपये कम करवाकर आपका काम करवा दूंगा पटवारी जी मेरे खास है उनके सारे काम मे ही करता हूं आप जाडन आ जाना, इस दौरान पटवारी जी ने कई बार अपने फोन नंबर 9602244747 से मुझे फोन करके जाडन आकर मिलने को कहा, मैं अपने जायज काम के लिए 91 की रसीद कटवाने को तैयार हूं लेकिन पटवारी जी मुझे दलाल के मार्फत् परेशान कर रिश्वत के 2.50 लाख रुपए मांग रही है, मैं इस काम के लिए कोई रिश्वत नहीं देना चाहता हूं मेरी पटवारी जुगल कंवर व दलाल लक्ष्मण सैन से कोई दुश्मनी व रंजिश नहीं है मैं इन दोनों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों को पकडवाना चाहता हूं मेरा इनसे किसी प्रकार का कोई लेनदेन बकाया नहीं है।

अतः रिपोर्ट पेश करता हुं कार्यवाही करावे।

दिनांक 20.06.23

हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	प्रार्थी
श्री हसमुखदास गवाह : 06.07.2023 श्री प्रशान्त कुमार ठाकुर गवाह : 06.07.23	नरपत चंद Adsp Acb पाली–प्रथम 20.06.2023	sd जयराम पटेल पुत्र श्री रतनाराम जाति कुमावत निवासी 126 गौतम नगर पाली, नया बस स्टेड पाली मो.न. 9214010214 9799357777

कार्यवाही पुलिस

दिनांक 20.06.2023 को समय 12:00 पी.एम. पर परिवादी श्री जयराम पटेल मुझ हस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय भ्र.नि.ब्यूरो पाली प्रथम में उपस्थित आया तथा रिपोर्ट मय दस्तावेजात के पेश की। परिवादी से दरियाफ्ती की तो रिपोर्ट में वर्णित तथ्यों को दोहराया।

मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी की प्रस्तुत रिपोर्ट एवं संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। दरियाफ्त पर परिवादी श्री जयराम ने रिपोर्ट अपने विश्वस्त निजी जानकार से लिखवाकर लाना तथा उक्त रिपोर्ट पर स्वयं के हस्ताक्षर होना बताया। वगैरा रिपोर्ट एवं दरियाफ्त से परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में अंकित तथ्यों एवं कथनों से संदिग्ध अधिकारी लोकसेवक जुगलकंवर पटवारी पटवार हल्का जाडन तहसील मारवाड जंक्शन जिला पाली एवं उसके दलाल श्री लक्ष्मण सैन द्वारा परिवादी श्री जयराम से उसके वैध कार्य की एवज में रिश्वत राशि की मांग करना प्रथम दृष्टया भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018 की परिभाषा में आने से प्रथमतः रिश्वत राशि मांग का गोपनीय सत्यापन करवाने का निर्णय लिया गया। समय 12.20 पी.एम. पर परिवादी श्री जयराम ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया की पटवारी जुगल कंवर बिना पैसो के खुलकर बातचीत नहीं करेगी। इसलिए मांग सत्यापन वार्ता के दौरान कुछ रूपये दुंगा तो बातचीत कर लेगी। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भी परिवादी के कथनो से सहमत हुआ। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं परिवादी ने विचार–विमर्श कर आज मांग सत्यापन के दौरान 20,000/– रूपये पटवारी जुगल कंवर को देने हेतु निर्णय लिया। जिस पर परिवादी श्री जयराम ने पांच–पांच सौ रूपये के कुल चालीस नोट कुल राशि 20,000/– रूपये प्रस्तुत किये। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा उक्त सभी नोटो की छायाप्रतियां करवाकर छायाप्रतियों पर परिवादी श्री जयराम एवं स्वयं के हस्ताक्षर कर नोटो की छायाप्रतियां स्वयं के पास सुरक्षित रखी एवं परिवादी द्वारा प्रस्तुत किये गये पांच–पांच सौ रूपये को उक्त चालीस नोटो को पुनः परिवादी श्री जयराम को सुपूर्द कर आवश्यक हिदायत दी गई।समय 12.40 पी.एम. पर श्री रतनसिंह नं0 357 को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अपने कार्यालय कक्ष में बुलाकर परिवादी श्री जयराम तथा श्री रतनसिंह नं0 357 का आपस में परिचय करवाया गया, सम्पूर्ण हालात बताये तथा कार्यालय का डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड कार्यालय की सुरक्षित अलमारी से निकालकर चालू कर डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड पुर्णतया खाली होना सुनिश्चित कर उपस्थित परिवादी एवं श्री रतनसिंह कानि0 को डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर की संचालन विधि समझाई जाकर डिजीटल वाईस रिकार्डर का स्वीच ऑफ कर रिश्वत राशि का मांग सत्यापन करवाकर लाने बाबत् आवश्यक हिदायत देकर श्री रतनसिंह कानि0 को परिवादी श्री जयराम के साथ जरिये परिवादी के निजी वाहन से जाडन गांव की तरफ रवाना किया गया। कुछ समय पश्चात परिवादी श्री जयराम पटेल एवं श्री रतनसिंह कानि0 ब्यूरो कार्यालय पाली–प्रथम में उपस्थित आयें तथा कानि0 श्री रतनसिंह ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को विभागीय डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड स्वीच ऑफ शुदा सुपुर्द किया तथा परिवादी श्री जयराम पटेल ने मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि हम कार्यालय से रवाना हो जाडन पहुचे जहा पटवार भवन से थोड़ा पहले श्री रतनसिंह कानि. ने मुझे आवश्यक समझाईश कर आरोपी से रिश्वत राशि मांग सत्यापन के संबंध में वार्ता करने हेतु साथ लाया डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड ऑन कर मुझे सुपूर्द कर रवाना किया। मैं वहा से रवाना होकर पटवार भवन जाडन में गयाजहा जुगल कंवर पटवारी उपस्थित मिली तथा उनके पास एक अन्य व्यक्ति भी बैठा था जिस पर मैने पटवारी जी से कहा कि मेरे पर मेहरबानी रखना 2.50 लाख की मेरी औकात नही तो पटवारीजी ने मेरे से कहा के आप ये बात मत करो मुझे गाड़ी दिलाने वाली बात करो और कहा की आप प्रकाश जी से मिले या नहीं तो मैने पटवारी जी को कहा कि मैं प्रकाश जी से नहीं मिलना चाहता हुँ। वह ज्यादा रकम मांग रहे हैं मैने कहा श्री लक्ष्मण सेन आपके परिचित हैं उनके माध्यम से बात करवा देता हूँ। इस पर पटवारी के कहने पर मैने लक्ष्मण सेन को फोन कर पटवारी जी के यहा पटवार भवन में बैठा होना बताया उसी समय मेरे फोन से ही पटवारी ने लक्ष्मण सेन से बात कर जल्दी आने के लिए कहा। इसके बाद मैने पटवारी जी को मेरी रसीद काटने की बात कही तो पटवारीजी ने मुझे दो–तीन साल की रसीदें काटकर देने को कहा। कुछ देर तक लक्ष्मण जी नही आये तो पटवारी स्वयं ने अपने फोन से लक्ष्मण सेन से वार्ता कर जल्दी आने के लिए कहा। कुछ देर पश्चात लक्ष्मण जी पटवार भवन आ गये। तब मैने लक्ष्मणजी को एक तरफ ले जाकर बात करने पर लक्ष्मणजी ने मुझे कहा कि पटवारी जी आपके रसीद काट देगे आप पैसे दे दो आपकी ईट भी नहीं हिलेगी जिस पर मैने कहा कि पटवारी जी ने 2.50 लाख रूपये मांगे है तो लक्ष्मणजी ने कहा कि ये कितने भी मांग सकती है मैं आपके कम करवा दुंगा, तो मेरे द्वारा लक्ष्मणजी से हाथा जोडी कर 51,000 रूपये तक देने का कहने पर लक्ष्मणजी ने जाकर पटवारीजी से बात की पुनः मुझे आकर बताया कि ये तो 70,000/–

रूपये का पटवारी जी कह रही है आपकों जो देना हो वो दे दो जिस पर मैने 20,000 रूपये साथ मे लाने का कहने पर लक्ष्मणजी ने मुझे कहा दे दो जिस पर मैने लक्ष्मणजी को 20,000/– रूपये पटवारी की मौजुदगी में दे दिये तथा मैने पटवारी जी को कहा कि साहब थोड़ी मेहरबानी रखना 2–4 दिन बाद मेरा कोई पैमेन्ट आने वाला हैं मैं और दे दुंगा आप शंका मत रखो में आपको और दे दुंगा, ये 20,000/– जमा कर देना जो बाकी होगा वो मै और दे दुंगा इतना कहकर में पटवारी जी व लक्ष्मण सेन से वार्ता कर बाहर आ गया था। मै वहा से रवाना होकर श्री रतनसिंह कानि0 के पास पहुँचा उन्होने मेरे से डिजीटल वाईस रिकार्डर प्राप्त कर स्वीच ऑफ कर अपने पास रखा मैने उन्हे उपरोक्त तथ्य बताये तथा वहा से रवाना होकर आपके पास कार्यालय में आयें। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड वार्ता को सुना तो परिवादी के बताये बातो की पुष्टि हुई। सम्पूर्ण हालात उच्च अधिकारियों से निवेदन किये गये। चुकि इस वार्ता लाप को सुनने एवं परिवादी से तथ्य ज्ञात करने पर पाया गया कि 20,000/– रूपये रिश्वति राशि प्राप्त करते वक्त परिवादी से पटवारी जुगल कंवर द्वारा शेष राशि अथवा तय राशि 70,000/– रूपये के सम्बन्ध में सीधी वार्ता नहीं की गई हैं इसलिए पुनः रिश्वति राशि की मांग का सत्यापन करवाया जाना उचित समझकर डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर में से मैमोरी कार्ड निकालकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नें अपने कब्जे में सुरक्षित रखा। तत्पश्चात परिवादी द्वारा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि पटवारी जी द्वारा दलाल के मार्फत शेष 50,000/– रूपये की मांग की जाने वाली राशि की व्यवस्था करने मे दो–चार दिनो का समय लगने बाबत निवेदन किया हैं इसलिए दो–चार दिन के बाद ही पटवारी अथवा दलाल के पास जाना उचित रहेगा जिस पर परिवादी को आवश्यक गोपनीयता की हिदायत कर अगले दो–चार दिन में पुनः ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आने हेतु पाबन्द कर रवाना किया गया। मैमोरी कार्ड में रिकार्ड वार्ता को आईन्दा रूबरू स्वतंत्र गवाहान के फर्द ट्रान्स्क्रीप्ट रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता मूर्तिब करने का निर्णय लिया।

दिनांक 26.06.2023 को समय 01.40 पी.एम. पर परिवादी श्री जयराम पटेल ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आया तथा बताया कि आज पटवारी जुगल कंवर ने मुझे फोन कर मिलने हेतु बुलाया हैं। यह भी बताया कि बुलाने का तात्पर्य मेरे से रिश्वत राशि प्राप्त करना हैं इसलिए मेरे पास अभी दस हजार रूपये की व्यवस्था हो सकी हैं जिसे साथ लेकर आया हुँ। इस पर पुनः रिश्वति राशि मांग सत्यापन करवाया जाना तय कर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने कार्यालय का डिजिटल वाईस रिकोर्डर में नया मैमोरी कार्ड डालकर श्री रतनसिंह कानि. को सुपुर्द कर रिश्वत राशि का मांग सत्यापन करवाकर लाने बाबत आवश्यक हिदायत देकर श्री रतनसिंह कानि0 को परिवादी श्री जयराम पटेल के साथ जरिये परिवादी के निजी वाहन से जाडन गांव की तरफ पटवारी जुगल कंवर से मिलने हेतु रवाना किया गया।कुछ समय पश्चात श्री रतनसिंह कानि0 व परिवादी श्री जयराम पटेल ब्यूरो कार्यालय पाली–प्रथम में उपस्थित आयें तथा कानि0 श्री रतनसिंह ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को विभागीय डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड स्वीच ऑफ शुदा सुपुर्द किया तथा परिवादी ने बताया की हम पटवारी जी के टेलिफोनिक वार्ता की पालना में कार्यालय से रवाना होकर जाडन में हाईवे के पास पहुँचे जॅहा श्री रतनसिह कानि. ने मुझे आवश्यक समझाईश कर आरोपी से रिश्वत राशि मांग सत्यापन के संबंध में वार्ता रिकार्ड करने हेतु साथ लाया डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड ऑन कर मुझे सुपूर्द कर रवाना किया। मैं वहा से रवाना होकर पटवार भवन जाडन गया तो पटवार घर का दरवाजा बन्द था जिस पर मैने पटवारी जी को फोन किया तो उन्होने बताया कि मै पॉच मिनट में पहुँच रही हुँ। मैं पटवार भवन के आसपास ही खड़ा रहा कुछ समय पश्चात पटवारी जी का मेरे पास फोन आया और बताया कि आप पटवार घर आ जाओ में आ गई हुँ। इस पर मैं पटवार घर गया जहा जुगल कंवर पटवारी जी मेरे से मिली जहॉ बातचीत के दौरान कहा कि लक्ष्मण जी ने आपसे फोन करके कुछ कहा हैं क्या, तब मैने कहा आज मैं लक्ष्मण जी से नहीं मिला हुँ परसो उनका फोन आया था। इस पर पटवारी जी ने मुझे कहा कि आप लाये हो क्या, तब मैने उनसे जानबुझ कर पुछा क्या, तो पटवारी जी ने कहा उस दिन वाला काम, इसके बाद पटवारी जी ने मुझे कहा कि उस दिन तो आपने कम में ही सलटा दिया पटवारी जी के इस कथन पर मैने कहा कि 70,000/– रूपये ही मेरे लिये बहुत भारी हैं अब जबान कर ली हैं इस लिए मुकर नहीं सकता हुँ। इसके बाद अन्य

वार्तालापो के पश्चात पटवारी ने कहा कि मुझे जाना हैं इस पर मैने साथ लाये हुए 10,000/– रूपये देने को कहा तो उन्होने कहा कि विश्वास हो तो इस पर मैने कहा कि है सा, इसके बाद पटवारी जी ने मुझे कहा कितने हैं तब मैने कहा ये दस है सा दस इतना कहकर मैने साथ लाये हुए दस हजार रूपये पटवारी जी को दे दिये। इसके बाद पटवारी जी कहा कि इससे क्या होता हैं। तब मैने पटवारी जी को कहा कि पचास बाकी थे, बीस दे दिये.....व अब तीस हो गये चालीस बाकी हैं जो चालीस दो–चार दिन के अन्दर अन्दर बैंक से केसीसी उठाकर दे दुंगा। मैने पटवारी जी को यह भी बताया कि बीस और दस तीस हो गये हैं चालीस मांगते हो जो मैनेजर आने के बाद दे दुंगा सा जिस पर पटवारी जी ने कहा ठीक हैं सा। वहा से रवाना होकर मैं रतनसिंह कानि0 के पास आया तथाउन्होने डिजीटल वाईस रिकार्डर प्राप्त कर स्वीच आफ कर अपने पास रखा तथा हम दोनो वहा से रवाना होकर आपके कार्यालय में आयें। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने डिजीटल वाईस रिकार्डर आन कर रिवाईण्ड कर सुना गया तो परिवादी के कथनो की ताईद हुई जिसकी आईन्दा फर्द ट्रान्सस्क्रिप्ट तैयार की जावेगी। डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड को सुरक्षित अलमारी में रख लॉक किया गया। परिवादी ने बताया कि शेष रिश्वति राशि दो–चार दिन में देना तय हुआ हैं इसलिए मैं रिश्वति राशि की व्यवस्था होते ही ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित हो जाउंगा। परिवादी को पुनः गोपनीयता की आवश्यक हिदायत कर रिश्वति राशि उपलब्ध होते ही ब्यूरो कार्यालय पाली प्रथम में उपस्थित आने हेतु पाबन्द कर इजाजत वापसी दी गई।

दिनांक 05.07.2023 को पूर्व में हुई वार्ता के क्रम में परिवादी श्री जयराम पटेल ब्यूरो कार्यालय पाली पर उपस्थित आया जिसने बताया कि आज दिनांक 05.07.2023 को दोपहर में पटवारी जुगल कंवर तथा उनके दलाल श्री लक्ष्मण के फोन मेरे मोबाईल पर आये थे मगर आपकी हिदायत अनुसार उक्त दोनो फोन को मैने अटैन्ड नहीं किया हैं तथा मेरे पास अब शेष रिश्वति राशि 40,000/– रूपये की भी व्यवस्था हो चुकी हैं। परिवादी को हिदायत की गई की इन दोनो में से किसी का भी वापस फोन आये तो मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को तुरन्त सुचित करे। परिवादी ने रिश्वति राशि की व्यवस्था होना बताया हैं ऐसी स्थिति में दिनांक 06.07.2023 को ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया जाना तय कर स्वतन्त्र गवाहान एवं महिला आरक्षक की तलबी हेतु दो अलग–अलग तहरीरे क्रमांक 1197 दिनांक 05.07.2023 द्वारा अधिशाषी अभियन्ता पी.एच.ई.डी. नगर खण्ड पाली को दो स्वतन्त्र गवाहान भिजवाने एवं क्रमांक 1199 दिनांक 05.07.2023 द्वारा संचित निरीक्षक रिजर्व पुलिस लाईन पाली को दो महिला कानि0 सादा वस्त्र में दिनांक 06.07.2023 को प्रातः 10.00 ए.एम. ब्यूरो कार्यालय पाली प्रथम में उपस्थित होने हेतु पाबन्द कर भिजवाने बाबत् पत्र तैयार कर पुलिस लाईन का पत्र जरिये मेल भेजकर फोन से भी सुचित किया गया तथा पी. एच.ई.डी. का पत्र कार्यालय हाजा के विशेष वाहक श्री हनुमानसिंह कानि. नं. 428 को वास्ते तामील भेजा गया। परिवादी को गोपनियता की हिदायत कर कल दिनांक 06.07.2023 को प्रातः 10.00 ए. एम. पर रिश्वति राशि 40,000/– रूपये लेकर ब्यूरो कार्यालय पाली प्रथम में उपस्थित आने हेतु पाबन्द कर रवाना किया गया। ब्यूरो स्टाफ पाली को भी आवश्यक गोपनीयता की हिदायत कर नियत समय पर कार्यालय में उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया गया।

दिनांक 06.07.2023 को समय 10:30 ए.एम. पर पूर्व से पाबन्द शुदा परिवादी श्री जयराम कार्यालय में उपस्थित आया हैं जिसने बताया कि कल रात्रि को करीब 09.00 बजे एवं आज सुबह करीब 08.25 ए.एम. पर पटवारी जुगलकंवर का फोन मेरे मोबाईल पर आया रात्रि का फोन मैने अटेन्ड नहीं किया तथा आज सुबह फोन आया तो पटवारी ने मुझे आज शेष रिश्वति राशि लेकर आने को कहा हैं इस पर मैने पटवारी जी को आज पटवार घर जाडन में आने हेतु कहा हैं। परिवादी ने रिश्वति राशि 40,000/– रूपये साथ लाना बताया हैं। इसी दौरान पूर्व में जरिये तहरीर पाबन्दशुदा दो निष्पक्ष गवाहान भी ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आये जिसे मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अपना परिचय देकर दोनो कार्मिको से परिचय पुछने पर दोनो ने क्रमशः अपना परिचय श्री हसमुख दास पुत्र श्री मीठादास जाति साद उम्र 33 वर्ष पेशा नौकरी निवासी नाल का दरवाजा, सादो का बास, देसुरी, हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय सहायक अभियन्ता पीएचईडी नगर उपखण्ड पाली जिला पाली मोबाईल नं. 8209098598 एवं श्री प्रशांत कुमार ठाकुर पुत्र श्री वेदानन्द ठाकुर जाति ब्राहमण उम्र 33 वर्ष पेशा नौकरी निवासी 10, डाक

बंगला की सडक मानपुरा भाखरी पाली हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय सहायक अभियन्ता पीएचईडी राजस्व उपखण्ड पाली जिला पाली मोबाईल नं. 7568529007 होना बताया। इस पर उपस्थित परिवादी का परिचय परस्पर दोनो कार्मिको से करवाया एवं परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दोनो स्वतन्त्र गवाहान को पढकर सुनाई गई। परिवादी श्री जयराम, दलाल लक्ष्मण सैन एवं आरोपी जुगलकंवर पटवारी के बीच रिश्वत राशि मांग सत्यापन दिनांक 20.06.2023 को हुई रूबरू वार्ता एवं परिवादी श्री जयराम एवं आरोपी जुगलकंवर पटवारी के बीच द्वितीय रिश्वत राशि मांग सत्यापन दिनांक 26.06.2023 को हुई थी। उक्त वार्ता कार्यालय हाजा के डिजीटल वॉईस रिकार्डर के मैमोरी कार्ड में रिकार्ड हैं, उक्त मैमोरी कार्ड मय डिजीटल वाईस रिकार्डर मुझ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की अभिरक्षा में कार्यालय हाजा की अलमारी में सुरक्षित रखकर ताला लगवाया हुआ हैं जिसे ताला खोलकर बाहर निकाला गया एंव दोनो वार्तालापो को रिवाईण्ड कर रूबरू गवाहान व परिवादी को वार्तालाप के मुख्य–मुख्य अंश सुनाये गये। दोनो गवाहान ने दोनो तारीखो की रिकार्ड वार्तालापो को सुनकर एवं परिवादी का प्रार्थना पत्र पढकर तथा परिवादी से पुछताछ कर तस्सली करने के पश्चात इस आयोजित ट्रेप कार्यवाही में दोनो गवाहान इस कार्यवाही में स्वतन्त्र गवाह रहने की सहमति प्रदान करते हुए परिवादी के प्रार्थना पत्र पर सहमति स्वरूप अपने हस्ताक्षर किये। इसी कार्यवाही के दौरान रिजर्व पुलिस लाईन पाली से पाबन्दशुदा सादावस्त्रधारी दो महिला कानि0 श्रीमती राधा विश्नोई नं. 390 एवं श्रीमती छोटी देवी नं. 1753 उपस्थित आयी जिनसे परिचय प्राप्त कर गोपनीय कार्यवाही के सम्बन्ध में हालात बताकर इस कार्यवाही में संदिग्ध पटवारी महिला होने के कारण महिला की हैसियत से ट्रेप कार्यवाही में सहयोग करने की आवश्यक हिदायत कर ब्यूरो कार्यालय के एक कक्ष में अलग से बिठाया गया। परिवादी ने पटवारी जुगल कंवर आज दिनांक को पटवार घर जाडन में आने का कहा हैं समय निश्चित नहीं किया गया हैं ऐसी स्थिति में दोनो गवाहान व परिवादी उपस्थित हैं जिनकी मौजुदगी में परिवादी श्री जयराम, दलाल लक्ष्मण सैन एवं आरोपी जुगलकंवर पटवारी के बीच रिश्वत राशि मांग सत्यापन दिनांक 20.06.2023 को हुई रूबरू वार्ता जो डिजीटल वॉईस रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकार्ड है जिस वार्ता को सुन एवं समझकर शब्द–ब–शब्द विभागीय लेपटाप के माध्यम से फर्द ट्रान्स्क्रीप्ट रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्तालाप तैयार करना प्रारम्भ की गयी। तत्पश्चात् रिश्वति राशि मांग सत्यापन वार्तालाप दिनांक 20.06.2023 की फर्द तैयार की जा रही हैं। इसी कार्यवाही के दौरान लगभग 01.00 पी.एम. पर परिवादी के मोबाईल पर पटवारी जुगल कंवर का फोन आया। इस वार्तालाप को कार्यालय हाजा के डिजीटल वाईस रिकार्डर के मैमोरी कार्ड में परिवादी के फोन का स्पीकर खोलकर हुई वार्ता को रिकार्ड किया गया। रिकार्ड वार्तालाप से पाया गया कि पटवारी जुगल कंवर ने परिवादी को पटवार घर जाडन आने को कहा जिस पर परिवादी ने रूपयों की व्यवस्था कर लगभग दो घण्टो में आने का कहा और अपनी रसीदे काटने हेतु पटवारी को कहने पर पटवारी ने कहा कि वो तो पांच मीनट में काट देंगे फिर परिवादी ने कहा कि मै दो घण्टे में आता हुँ तो पटवारी ने कहा घण्टे भर में आ जाओ इस पर पुनः परिवादी ने कहा कि मै एम्बुलेन्स गाड़ी का काम कर रहा हुँ दो घण्टे में आ जाउंगा जिस पर पटवारी ने कहा कि अभी तो एक बजे हैं आप तीन बजे तक आ जाना इत्यादी वार्तालाप हुई। इस रिकार्ड वार्तालाप की बाद में फर्द ट्रास्क्रिप्ट तैयार की जायेगी। डिजीटल वाईस रिकार्ड मय मैमोरी कार्ड मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपनी अभिरक्षा में रखा। चूकि अब रिश्वति राशि लेनदेन का समय निर्धारित हो चुका हैं ऐसी स्थिति में ट्रेप कार्यवाही के निरन्तर में अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ की गई। समय 02.15 पी.एम. तक फर्द रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 20.06.2023 की फर्द मूर्तिब कर शामिल पत्रावली की गयी तथा रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता को विभागीय लेपटाप के माध्यम से एक पैन ड्राईव तैयार किया गया। मैमोरी कार्ड को मूल मानते हुए सफेद कपड़े की थैली में सील मोहर किया जाकर कपड़े की थैली एवं फर्द पर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये गये तथा पैन ड्राईव को डब मानते हुए खुली हालत में रखा गया। उक्त रिकार्डशुदा वार्ता में पटवारी एवं उसके दलाल तथा परिवादी स्वयं की आवाज की पहचान परिवादी श्री जयराम ने की। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता का मूल शिल्डशुदा मैमोरी कार्ड एवं डब पैन ड्राईव को मालखाना प्रभारी श्री किशनसिंह हैड कानि0 92 को सुपुर्द कर दर्ज मालखाना रजिस्टर करवाकर, मालखाना के डबल लाक में रखवाया गया। तत्पश्चात परिवादी ने दोनों निष्पक्ष गवाहान की उपस्थिति में जुगल कंवर पटवारी, को रिश्वत के रूप में दी जाने वाली राशि पांच–पांच सौ रूपये के अस्सी नोट राशि 40,000 रूपये मन् अतिरिक्त पुलिस

अधीक्षक को प्रस्तुत किये। परिवादी द्वारा प्रस्तुत नोटो पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाने हेतु कार्यालय हाजा के मालखाना से हैड कानि0 श्री किशनसिंह द्वारा फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी निकलवाई जाकर कार्यालय हाजा के कानि0 श्री दशरथ सिंह को बुलाया गया तथा श्री दशरथ सिंह का परिचय परिवादी व गवाहान को देकर परिवादी द्वारा प्रस्तुत नोटो के नम्बर फर्द पेशकशी में अंकित कर एक सफेद अखबार पर उक्त नोटो को रखकर उन समस्त 500–500 रूपये के 80 नोटो पर श्री दशरथसिंह कानि. 428 से हल्का–हल्का फिनॉफ्थिलीन पाऊडर लगवाया गया। परिवादी श्री जयराम की जामा तलाशी गवाह श्री हसमुख दास कनिष्ठ सहायक से लिरवाई जाकर परिवादी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं पाये जाने पर रिश्वत के रूप में दी जाने वाली राशि 40,000 रूपये के नोट श्री दशरथसिंह कानि. 428 के हाथ से परिवादी के पहनी हुई पेंट के दांयी साईड की जेब में रखवाये गये। परिवादी को हिदायत दी गई की वह इन नोटो को पटवारी जुगल कंवर अथवा उसके कहने से दलाल श्री लक्ष्मण सेन के मांगने पर ही अपनी जेब से निकाल कर देवे, नोट देने के पश्चात उक्त दोनो से हाथ नहीं मिलावे एवं उनके द्वारा रिश्वति राशि प्राप्ति के पश्चात रखने के स्थान का ध्यान रखे। बाद लेन–देन पटवार घर से बाहर आकर मुझ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अथवा निरीक्षक पुलिस के मोबाईल फोन पर मिस काल करे संभव हो तो पटवार घर से बाहर आकर अपना दाहिना हाथ सिर के बालो पर दो–तीन बार फेरे जो इस बात का ईशारा होगा कि संदिग्ध ने रिश्वति राशि प्राप्त कर ली हैं। परिवादी व उपस्थित मौतबिरान को फिनोफ्थलीन पाउडर व सोडियम कार्बोनेट का महत्व समझाने के लिये दृष्टान्त दिया गया। दृष्टान्त के उपयोग में लिये गये गुलाबी घोल को बाहर फिकवाया जाकर गिलास को साफ पानी व साबुन से तथा श्री दशरथ सिंह के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को पुनः मालखाना में रखकर ताला लगवाया गया। इसके पश्चात परिवादी को छोड़कर समस्त ट्रेप दल के आपस में जामा तलाशी लिरवाई गई तो किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु अथवा राशि नही पाई गई। ब्यूरो स्टाफ के पास विभागीय परिचय पत्र अपने अपने पास रहने दिये गयें। इसके बाद परिवादी सहित समस्त ट्रेप दल के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। इस कार्यवाही की विस्तृत फर्द पेशकशी भारतीय मुद्रा के नोट एवं सुपुर्दगी तथा दृष्टान्त फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर अलग से तैयार कर फर्द पर सम्बन्धितान के हस्ताक्षर करवाये जाकर फर्द को शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय 02.50 पी.एम पर परिवादी श्री जयराम के हमराह मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरपत चन्द एवं श्री रतनसिंह कानि0 357, श्रीमती छोटी देवी महिला कानि0 1753 व श्री राधा विश्नोई महिला कानि0 390 मय ट्रेप बाक्स मय ट्रेप सामग्री एवं कार्यालय का डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड सहित परिवादी की निजी कार से उसके पीछे श्री पदमपाल सिंह निरीक्षक पुलिस हमराह श्री हनुमान सिंह कानि0 427 सहित निरीक्षक पुलिस की निजी कार से, इनके पीछे ब्यूरो कार्यालय सिरोही की इस कार्यालय में रखी हुई सरकारी बोलेरो वाहन में श्री किशनसिंह मुख्य आरक्षक नं. 92, स्वतन्त्र गवाहान श्री हसमुख एवं श्री प्रशान्त कुमार श्री ताराचन्द कानि0 176 एवं श्री धर्माराम कानि. 400 तथा श्री नरेन्द्र कानि. 286 निजी मोटर साईकल द्वारा कार्यालय हाजा से पटवार घर जाडन की तरफ रवाना हुए श्री अभय कुमार हैड कानि0 (एम.टी.) 09 को पाबन्द किया गया कि वह कार्यालय हाजा के टवेरा वाहन को ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित रखे जिसे सुचित करने पर वह तुरन्त पटवार घर जाडन पहुॅचे। नोटो पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाने वाले श्री दशरथ सिंह कानि0 को ब्यूरो कार्यालय पाली में ही छोड़ा गया। अब तक के घटनाक्रम के बारे में उच्चाधिकारियों को जरिये मोबाईल अवगत करवाया गया। रवानाशुदा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय उपरोक्त हमराहियान के ग्राम जाडन से पहले जयपुर पाली हाईवे पर स्थित पुलिया के पास पहुंचे। शेष वाहन व मोटर साईकिल भी हमारे पीछे अलग अलग स्थानो पर खड़ी रही। जाडन पुलिया के पास मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दोनो महिला कानि0 व कानि0 श्री रतनसिंह परिवादी के निजी वाहन मय ट्रेप बाक्स व सामग्री सहित उतरे। परिवादी को आवश्यक हिदायत कर उसे डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड के चालु कर दिया जाकर पटवार घर जाडन की तरफ अकेले ही अपने निजी वाहन से रवाना किया गया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हमराह शेष दल जाडन पुलिया के पास की होटलो पर अलग अलग स्थानो पर खड़े रहकर परिवादी के मुकर्रर इशारे का इन्तजार करने लगे।

समय 03.35 पी.एम पर परिवादी ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास जाडन पुलिया स्थित होटल पर आया मैने उससे डिजीटल वायॅस रिकार्डर प्राप्त कर स्वीच ऑफ कर अपने पास सुरक्षित रखा, परिवादी ने मुझे अलग ले जाकर बताया कि मैं पुलिया से रवाना होकर पटवार घर जाडन पहुॅचा जहा ताला लगा हुआ था। मैने अपने मोबाईल फोन से पटवारी जी को फोन लगाकर मेरे पटवार घर पहुचने की बात बताई तो पटवारी जी ने कहा कि आप प्रकाश के घर आ जाओ में वहीं पर बैठी हूॅ। परिवादी ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक का यह भी बताया कि मैं आपको बिना बताये श्री प्रकाश के घर नहीं गया हुॅ। परिवादी के इस कथन पर श्री प्रकाश के घर का लोकेशन देखना आवश्यक होने से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक निरीक्षक पुलिस सहित उनकी निजी कार से परिवादी को अपने साथ बिठाकर श्री प्रकाश के घर का लोकेशन देखने हेतु रवाना होकर प्रकाश के घर के आस–पास पहुॅचे। श्री प्रकाश का घर पुलिया से लगभग एक किलोमीटर दुर अन्य घरो के बीच होने से उक्त स्थान रिश्वति आदान–प्रदान हेतु उचित नहीं मानकर वापस जयपुर–पाली हाईवे पर आये तथा परिवादी के मोबाईल फोन से पुनः पटवारी जुगल कंवर के फोन पर वार्ता करने का प्रयास किया लेकिन पटवारी द्वारा फोन अटेन्ड नहीं किया गया। कुछ समय पश्चात ही पटवारी जुगल कंवर का फोन परिवादी के मोबाईल पर आयाजिसमें परिवादी ने पटवारी को बताया कि वह लेट हो रहा हैं तथा वापस पाली जल्दी जाना हैं जिस पर पटवारी जुगल कंवर ने परिवादी को कहा कि आप कहा हो जिसपर परिवादी जयराम ने कहा मैं पटवार घर जाडन हूॅ तो पटवारी जुगल कंवर ने कहा आप वहीं रूको में दो मिनट में आ रही हुॅ। इस वार्तालाप को भी कार्यालय के डिजीटल वाईस रिकार्डर में स्थित मैमोरी कार्ड में रिकार्ड किया गया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय निरीक्षक पुलिस व परिवादी के पुनः पुलिया के पास स्थित होटलो पर आये जहा परिवादी को निरीक्षक पुलिस के निजी वाहन से उतारकर अपने निजी वाहन से पटवार घर जाडन की तरफ मय डिजीटल रिकार्डर मैमोरी कार्ड सहित चालु कर रवाना किया तथा शेष समस्त ट्रेप दल परिवादी के मुकर्रर इशारे का इन्तजार करने लगे।

समय 05.07 पी.एम पर परिवादी श्री जयराम पूर्व में गया हुआ अपने निजी वाहन से मुझ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास पुलिया के पास स्थित होटल पर आया मैने परिवादी से डिजीटल वायस रिकार्डर प्राप्त कर स्वीच आफ कर अपने पास सुरक्षित रखा। परिवादी ने बताया कि मैं चालु डिजीटल टेप रिकार्डर सहित पुलिया के पास से रवाना होकर पटवार घर जाडन पहुॅचा जहा कुछ समय बाद पटवारी जुगल कंवर पटवार घर पहुॅची और पटवार घर का ताला खोला इतने में एक अन्य व्यक्ति भी पटवार घर में आ गया। मेरे पटवार घर में पहुॅचने के कुछ ही समय बाद पटवारी मैडम ने मेरे से पुछा कि पुलिया के निचे गाड़ी किसकी खड़ी हैं जिस पर मैने बताया कि मुझे मालुम नही हैं वो गाड़ी किसकी हैं। इसके बाद पटवारी जी अन्य व्यक्ति से वार्ता करने लग गई और मुझे हाथ से बैठने का ईशारा किया। मैं पटवार घर स्थित कुर्सी पर बैठ गया। मैं लगभग आधा घण्टा बैठा रहा पटवारी जी अन्य व्यक्ति के साथ बातचीत व अन्य कार्य में व्यस्त रही। इसके बाद मेरे मोबाईल फोन पर दलाल श्री लक्ष्मण सेन का फोन आया उसने मुझे कहा कि आप कहा हो, जिसपर मैने कहा मैडम से मिलने पटवार घर आया हु, इस पर दलाल श्री लक्ष्मण सेन ने कहा कि मिल लो इस पर मैने मैडम पटवारी जी को कहा कि लक्ष्मण जी का आपसे मिलने बाबत् फोन आया हैं मैं क्या करू जाउ किया, मेरे इतना कहने पर पटवारी जी कहा हा जाओ कोई दिक्कत नहीं हैं। इस पर मैने पुनः पटवारी जी को बताया कि क्या मैं लक्ष्मण जी के पास जाउ इस पर पटवारी जी ने कहा कही जाओ आप। इसके बाद मैने पटवारी जी को कहा कि मेरे लेट हो रहा हैं आप देख लो पटवारी जी ने मेरे से रूपये नहीं लिये तथा मैं वापस पटवार घर से रवाना होकर आपके पास आया हुॅ। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी को पूर्व में दिया गया डिजीटल वाईस रिकार्डर लेकर सुना गया तो परिवादी के कथनो की ताईद हुई।जिसकी बाद में सुन–सुन कर फर्द ट्रान्स्क्रप्ट अलग से तैयार की जावेगी। उपरोक्त वार्तालाप के पश्चात परिवादी के मोबाईल फोन पर दलाल श्री लक्ष्मण सैन का फोन आया जिसने परिवादी को बताया कि आप आज साथ किसको लेके आये हो इस पर परिवादी ने कहां कि मै किसी को साथ लेकर नही आया हु इसपर परिवादी ने पुनः लक्ष्मण सैन को बताया कि पटवारी मैडम ने मेरे से पुछा था कि पुलिये के नीचे गाडी किसकी खडी है मैने भी उन्हे जानकारी नही होना बताया था परिवादी के इस कथन पर लक्ष्मण सैन ने बताया कि अभी रूको मै आप की कॉन्फेन्स पर पटवारी से बात करता हु लेकिन

पटवारी जी ने फोन नही उठाने से कोई वार्ता नही हो पाई थी। परिवादी और दलाल लक्ष्मण सैन के बीच हुई इस वार्तालाप को भी विभागीय वाईस रिकार्डर में रिकार्ड किया गया। आज दिनांक को आयोजित ट्रेप कार्यवाही के संबंध में पटवारी जुगल कंवर को किसी तरह का संदेह होने के कारण ही उसने प्रथमतः परिवादी को दलाल प्रकाश के घर बुलाया उसके बाद पुलिये के नीचे गाडी खड़ी होनें के संबंध में परिवादी से पुछा तथा दलाल लक्ष्मण सेन ने परिवादी को किसको साथ लाने के संबंध में पूछा, बाद मे पटवारी ने समय नही होने का हवाला देकर रिश्वत राशि परिवादी से प्राप्त नही की। यह समस्त तथ्य इंगित करते है कि पटवारी जुगल कंवर को आज संदेह हो जाने के कारण रिश्वत राशि प्राप्त नही की है। लिहाजा आईन्दा पुनः पटवारी जुगल कंवर अथवा दलाल का परिवादी के पास फोन आने पर अग्रिम कार्यवाही किया जाना तय किया जाकर समस्त ट्रेप दल पुनः अपने साथ लाये गये वाहनों से जाडन पुलिया से रवाना होकर एसीबी कार्यालय पाली की तरफ रवाना होकर कार्यालय पहुचे। ट्रेप बाक्स मय ट्रेप सामग्री एवम् लेपटाप व प्रिन्टर को कार्यालय मालखाना में रखा गया। परिवादी के पहनी पेन्ट की जेब मे रखी फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त राशि 40,000 रूपये को श्री प्रशान्त कुमार गवाह से निकलवाई जाकर नोटो के नम्बरो का पुनः मिलान फर्द पेशकशी में अंकित नम्बरो से किया जाकर इस राशि को एक सफेद लिफाफे में डालकर मालखाना डबल लॉक में श्री किशनसिंह हैडकानि. से उक्त लिफाफे को सुरक्षित रखवाया गया। सादा वस्त्रधारी दोनो महिला कानि0 को भी गोपनीयता की हिदायत कर रूखसत दी गई। तत्पश्चात परिवादी श्री जयराम व दोनों मौतबिरान ब्यूरो कार्यालय पाली में उपस्थित है। दिनांक 26.06.2023 को परिवादी व पटवारी के मध्य हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता जो डिजीटल वॉईस रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकार्ड है। उक्त मेमोरी मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास सुरक्षित रखा हुआ है जिसे कार्यालय हाजा की अलमारी से निकाल कर उक्त मेमोरी कार्ड को डिजिटल वाईस रिकोर्डर में लगाया जाकर वार्ता को सुन–समझकर शब्द–ब–शब्द विभागीय कम्प्युटर के माध्यम से फर्द ट्रान्स्क्रीप्ट रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्तालाप दिनांक 26.06.23 को तैयार करना प्रारम्भ की गयी। फर्द रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता अलग से मूर्तिब कर शामिल पत्रावली की गयी तथा रिश्वत राशि मांग सत्यापन की कम्प्युटर के माध्यम से एक पैन ड्राईव तैयार किया गया। मेमोरी कार्ड को मूल मानते हुए सफेद कपड़े की थैली में सील मोहर किया जाकर कपड़े की थैली एवं फर्द पर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये गये तथा पैन ड्राईव को डब मानते हुए खुली हालत में रखा गया। उक्त रिकार्डशुदा वार्ता में पटवारी एवं परिवादी स्वयं की आवाज की पहचान परिवादी श्री जयराम ने की। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता की शिल्डशुदा मेमोरी कार्ड एवं डब पैन ड्राईव को मालखाना प्रभारी श्री किशनसिंह को सुपुर्द कर दर्ज मालखाना रजिस्टर करवाया गया एवम् मालखाना डबल लॉक में सुरक्षित रखवाया गया। समय 09.30 पी.एम पर आज दिनांक 06.07.2023 को परिवादी व पटवारी तथा दलाल लक्ष्मण सैन के मध्य उपरोक्त वर्णित वार्तालापे हुई है उन वार्तालापों को भी डिजिटल वाईस रिकार्डर में अलग मेमोरी कार्ड डालकर रिकार्ड किया गया है। परिवादी व दोनों स्वतंत्र मोतबिरान भी ब्यूरों कार्यालय में उपस्थित है। इन समस्त की मोजुदगी में उक्त वार्तालाप को जरिये डिजिटल वाईस रिकार्डर सुन–सुनकर कार्यालय के विभागीय कम्प्युटर के जरिये फर्द फर्द ट्रान्स्क्रीप्ट वार्ता अलग से मूर्तिब कर शामिल पत्रावली की गयी तथा उक्त वार्तालाप की कम्प्युटर के माध्यम से एक पैन ड्राईव तैयार किया गया। मेमोरी कार्ड को मूल मानते हुए सफेद कपड़े की थैली में सील मोहर किया जाकर कपड़े की थैली एवं फर्द पर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये गये तथा पैन ड्राईव को डब मानते हुए खुली हालत में रखा गया। उक्त रिकार्डशुदा वार्ता में पटवारी, दलाल लक्ष्मण सेन एवं परिवादी स्वयं की आवाज की पहचान परिवादी श्री जयराम ने की। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा उक्त वार्ता की शिल्डशुदा मेमोरी कार्ड एवं डब पैन ड्राईव को मालखाना प्रभारी श्री किशनसिंह को सुपुर्द कर दर्ज मालखाना रजिस्टर करवाया गया एवम् मालखाना डबल लॉक में सुरक्षित रखवाया गया। तत्पश्चात गवाहान को रूखसत किया जाकर परिवादी श्री जयराम को भी गोपनीयतता की हिदायत करते हुए निर्देशित किया गया कि पटवारी जुगल कंवर एवं उसके किसी दलाल का फोन आने पर तुरन्त मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सूचित करने बाबत् पाबन्द कर रूखसत दी गई।

दिनांक 13.07.2023 को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अग्रिम ट्रेप कार्यवाही के बारे में परिवादी श्री जयराम से जरिये मोबाईल सम्पर्क किया तो परिवादी ने बताया कि आरोपी पटवारी का दलाल श्री लक्ष्मण सेन 10.07.2023 को मेरे पाली स्थित गैराज पर आया था और मुझे ये कहा कि आप दो–चार दिन में तयशुदा शेष रिश्वत 40,000/– रूपये लेकर जाडन मेरे पास आना मैं पटवारी जुगल कंवर से आपका काम करवा दुंगा। आज उस बात को दो–चार दिन हो चुके हैं। आज पटवारी या उसका दलाल मेरे से रिश्वत राशि ले सकते हैं, मैं मेरे निजी कार्य में व्यस्त होने से जानकारी आपको पहले नहीं दे पाया। परिवादी से हुई वार्ता के क्रम में मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अग्रिम ट्रेप कार्यवाही हेतु पुनः प्रयास करने का निर्णय गया। जिस पर परिवादी श्री जयराम को अविलम्ब कार्यालय में उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया गया। समय 01.50 पी.एम पर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही हेतु स्वतन्त्र गवाहान की आवश्यकता होने से पूर्व से पाबन्दशुदा श्री हसमुख दास एवं श्री प्रशान्त कुमार को जरिये मोबाईल सम्पर्क कर यथाशीघ्र कार्यालय हाजा पर उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया गया। समय 02.19 पी.एम पर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही में आरोपी पटवारी महिला होने के कारण महिला कानि0 की आवश्यकता होने से श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक पाली के नाम तहरीर जारी कर जरिये मेल प्रेषित की जाकर पुलिस लाईन पाली से दो महिला कानि0 (सादा वस्त्र) में अविलम्ब कार्यालय हाजा में भिजवाने बाबत् निवेदन किया गया।समय 02.25 पी.एम पर पाबन्दशुदा दोनो स्वतन्त्र गवाहान श्री हसमुख दास एवं श्री प्रशान्त कुमार मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष कार्यालय हाजा पर उपस्थित आये।तत्पश्चात परिवादी श्री जयराम पटेल मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष कार्यालय हाजा पर उपस्थित आया जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री जयराम से दलाल श्री लक्ष्मण सेन के मोबाईल पर काल करवाया गया तो दलाल श्री लक्ष्मण सेन ने परिवादी श्री जयराम को आज ही अपने पास जाडन आने हेतु कहा।समय 03.25 पी.एम पर रिजर्व पुलिस लाईन पाली से पाबन्दशुदा सादा वस्त्रधारी दो महिला कानि0 श्रीमती राधा विश्नोई नं. 390 एवं श्रीमती इमरती नं. 1823 उपस्थित आयी। जिनसे उनका परिचय प्राप्त कर गोपनीय कार्यवाही के सम्बन्ध में हालात बताकर इस कार्यवाही में संदिग्ध पटवारी महिला होने के कारण महिला की हैसियत से ट्रेप कार्यवाही में सहयोग करने की आवश्यक हिदायत दी गई।समय 03.35 पी.एम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अग्रिम ट्रेप कार्यवाही हेतु दिनांक 06.07.2023 को मालखाना के डबल लाक में एक सफेद लिफाफे में सुरक्षित रखी गई फिनोफ्थलिन पाउडर युक्त रिश्वति राशि 40,000/– रूपये को कार्यालय के श्री किशन सिंह हैड कानि0 से मालखाने के डबल लॉक से बाहर निकलवाकर गवाह श्री हसमुख दास से लिफाफा खुलवाया जाकर लिफाफे में रखी हुई आरोपी को दी जाने वाली रिश्वति राशि 40,000/– रूपये निकलवाये गये तथा परिवादी श्री जयराम की जामा तलाशी गवाह श्री प्रशान्त कुमार से लिरवाई जाकर परिवादी के मोबाईल फोन एवं उसके निजी वाहन की चाबी के अलावा अन्य कोई राशि या दस्तावेज पास में नहीं रहने दिये गये। उक्त फिनोफथलीन पाउडर युक्त 40,0000/–रूपये जो आरोपी पटवारी या उसके दलाल श्री लक्ष्मण सेन को रिश्वत राशि के रूप में दी जानी है, उक्त राशि को परिवादी श्री जयराम के पहनी हुई पेन्ट के सामने की दाहिनी जेब में गवाह श्री हंसमुख से रखवायी गई एवं रूबरू गवाहान परिवादी श्री जयराम को हिदायत दी गई कि उक्त रिश्वती राशि को रास्ते में छुऐ नहीं एवं पटवारी जुगल कंवर या उसके दलाल श्री लक्ष्मण सेन द्वारा मांगने पर ही उक्त रिश्वती राशि निकाल कर उन्हे देवे तथा आरोपी से हाथ नहीं मिलावे। यदि हाथ मिलाने की आवश्यकता हो तो दुर से ही दोनो हाथ जोड़कर अभिवादन कर लेवे तथा आरोपी द्वारा रिश्वति राशि प्राप्त करने के पश्चात रिश्वति राशि को आरोपी कहा छुपाता है या रखता है आदि का ध्यान रखे एवं ट्रेप दल को देखकर अपने सिर पर आगे से पीछे अपना हाथ दो बार फेरकर या मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मोबाईल पर मिसकॉल/कॉल कर सुचित करें। तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा ट्रेप दल एवं गवाहान को हिदायत दी गई कि जहां तक संभव हो परिवादी व आरोपी के बीच में होने वाली रिश्वती राशि लेन–देन व वार्तालाप को देखने व सुनने का प्रयास करे। जिस सफेद लिफाफे में रिश्वति राशि लपेट कर सुरक्षित रखी गई थी उस लिफाफे को गवाह श्री हसमुख दास से जलवाया जाकर नष्ट करवाया गया एवं श्री हसमुख दास के दोनो हाथ साफ पानी एवं साबुन से दो बार धुलवाये गयें। तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी को छोड़कर समस्त ट्रेप दल की आपसी तलाशी लिवाई जाकर केवल अपने–अपने मोबाईल फोन एवं विभागीय परिचय पत्र ही पास में रहने दिये गये।

इसके अलावा कोई राशि या संदिग्ध दस्तावेज नहीं रहने दिया गया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अपने पास खर्चे हेतु 2,000 रूपये रखे गये। तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय ब्यूरो जाप्ता श्री किशनसिंह हैड. कानि0 92, श्री ताराचन्द कानि0 176 महिला कानि0 श्रीमती इमरती देवी 1823 स्वतन्त्र गवाह श्री प्रशान्त कुमार मेरे निजी वाहन से मय ट्रेप बाक्स, ट्रेप सामग्री, पत्रावली एवं कार्यालय का डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड सहित, मेरे पीछे परिवादी श्री जयराम एवं श्री रतनसिंह कानि0 357 परिवादी की निजी कार से उसके पीछे श्री हनुमान सिंह कानि0 427, श्री धर्माराम कानि. 400, श्रीमती राधा महिला कानि0 390 व स्वतन्त्र गवाह श्री हसमुख सरकारी टवेरा वाहन मय चालक श्री अभय कुमार हैड कानि0 09 कार्यालय भ्र.नि.ब्यूरो पाली प्रथम से अग्रिम ट्रेप कार्यवाही हेतु पटवार घर जाडन की तरफ रवाना हुए कार्यालय की निगरानी हेतु श्री दशरथ सिंह कानि0 428 को पीछे छोड़ा गया। समय 04.25 पी.एम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय उपरोक्त हमरायान के ग्राम जाडन से पहले हाईवे पर पहुचे शेष वाहन भी मेरे पीछे वही आकर रूके जहा परिवादी श्री जयराम को आवश्यक हिदायत कर उसे कार्यालय का डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड के चालू कर दिया जाकर पटवार घर जाडन की तरफ अकेले ही अपने निजी वाहन से रवाना किया गया। सरकारी वाहन टवेरा मय चालक श्री अभय कुमार हैड कानि0 09 व जाप्ता श्री हनुमान सिंह कानि0, श्री धर्माराम कानि., श्रीमती राधा महिला कानि0 व स्वतन्त्र गवाह श्री हसमुख को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के अग्रिम निर्देशो के इन्तजार में जाडन से मारवाड़ जंक्शन जाने वाली रोड़ पर जाकर खड़े रहने की हिदायत दी गई। तथा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय शेष दल जाडन हाईवे पर ही गोपनीय स्थान पर वाहन को खड़ा कर अपनी–अपनी उपस्थिति छुपाते हुए परिवादी श्री जयराम के गोपनीय इशारे के ईन्तजार में व्यस्त हुऐ।समय 05.28 पी.एम पर परिवादी श्री जयराम ने जरिये मोबाईल मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि रिश्वत राशि का आदान–प्रदान नहीं हुआ हैं जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक परिवादी श्री जयराम को पूर्व में तयशुदा गोपनीय स्थान पर उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया। समय 05.35 पी.एम पर परिवादी श्री जयराम अपने निजी वाहन से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, गवाह एंव अन्य ट्रेप दल के समक्ष उपस्थित आया जिस पर परिवादी को सुपुर्द किया गया कार्यालय का डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड के परिवादी से प्राप्त कर स्वीच ऑफ करते हुए अपने पास सुरक्षित रखा। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी से पुछताछ करने पर परिवादी श्री जयराम ने रूबरू गवाह बताया कि "मैं आपके पास से रवाना होकर जाडन पटवार भवन के पास पहुॅचा तो पटवार घर बन्द मिला, जिस पर मैं जाडन पटवार घर से रवाना होकर जाडन हाईवे पर स्थित श्री पुसाराम जी की वैल्डिंग की दुकान पर पहुॅचा जहा दलाल श्री लक्ष्मण सेन की बैठक हैं वहा मैने श्री पुसाराम जी से दलाल लक्ष्मण सेन के बारे में पुछा तो उन्होने तुरन्त अपने मोबाईल से दलाल श्री लक्ष्मण सेन को फोन कर उनकी दुकान पर मेरे आने के बारे में बताया। जिस पर कुछ समय बाद ही दलाल श्री लक्ष्मण सेन अपने साथ एक छोटे बच्चे को लेकर मोटर साईकिल से पुसाराम जी की दुकान पर आयाजिस पर मैने दलाल लक्ष्मण सेन को पटवारी जुगल कंवर से बात होने के सम्बन्ध में पुछा तो लक्ष्मण सेन ने कहा कि मेरी पटवारी जी से बात हुई हैं पटवारी जी ने कहा कल आउंगी तब मैं आप वाला काम कर दुंगी जिस पर मैने दलाल लक्ष्मण सेन को कहा कि मैं पटवारी जी को देने हेतु शेष राशि चालीस हजार साथ लेकर आया हुॅ। आप पटवारी जी से बात करके मेरा काम करवा दो और बाकी के पैसे ले लो। जिस पर दलाल श्री लक्ष्मण सेन ने अपने मोबाईल से आरोपी पटवारी जुगल कंवर को फोन लगाया तो पहली बार में आरोपी पटवारी का फोन प्रतिक्षा में आ रहा था। कुछ समय बाद आरोपी पटवारी का दलाल लक्ष्मण सेन के मोबाईल पर काल आया और लक्ष्मण सेन से बात करने लगी इसी बीच मैने कहा कि पटवारी मैडम मेरे पर बहुत वहम करती हैं जिस पर दलाल लक्ष्मण सेन ने अपने चालु मोबाईल फोन से ही जुगल कंवर पटवारी से मेरी बात करवाई तो मैनें मोबाईल का लाउडस्पीकर आन कर पटवारी जी को कहा कि मैडम में मजदुर आदमी हु आप मेरे पर वहम क्यो करते हो यह ठीक बात नहीं हैं जिस पर पटवारी ने कहा कि मुझे सब पता हैं तभी तो मै आपको बता रही हुॅ वहम तो हैं जिस पर मैने कहा देखो मैडम मेरा काम अधुरा पड़ा हैं आप उसे पुरा कर दो जिस पर पटवारी ने मुझे कहा कि आपके कोई काम बाकी नहीं हैं मैने आपका काम कर दिया हैं। इतना कहते हुए पटवारी जुगल कंवर ने फोन काट दिया। तत्पश्चात मैने दलाल लक्ष्मण सेन को फोन देते हुए कहा कि पटवारी जी ऐसे क्या कर रही है फोन काट दिया बात ही नहीं कर रही है तो

दलाल लक्ष्मण सेन ने बताया कि फोन भले ही काटा हो आपका काम हो जायेगा, आपको आने की जरूरत नहीं हैं आपकी रसीद मैं कटवाकर ले आउंगा और पैसा आप बाद में दे देना, जिस पर मैरे द्वार बार–बार दलाल लक्ष्मण सेन को पटवारी को पुनः फोन कर मेरे 91 की रसीद के बारे में पुछना तथा अगर पटवारी कहे तो उनके निवास स्थान मारवाड़ जंक्शन पर चलकर बात करने का कहा और मैने दलाल लक्ष्मण सेन को कहा कि पटवारी मेरा काम नहीं करती हैं तो मेरे द्वारा पहले दिये गये 30,000/–रूपये मुझे वापस लौटाये। जिस पर दलाल लक्ष्मण सेन ने कहा कि आप निश्चिंत रहो में आपका काम करवा दुंगा, मै आपकी रसीद कटवाकर तैयार रखुगा, आप आना रसीद ले जाना पैसा उसी वक्त दे देना अभी नहीं लुगा। मै आपका काम करवा दुंगा अभी पटवारी जी डरी हुई हैं इतना कहकर मैं आपके पास आया हुँ। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा मेरे पास उपलब्ध कार्यालय के डिजीटल वाईस रिकार्डर को चालु कर रिकार्ड वार्ता के मुख्यांश को सुना गया तो परिवादी श्री जयराम द्वारा बताये गये तथ्यो की ताईद हुई आइन्दा कार्यालय पहुँच फर्द ट्रांस्क्रिप्ट तैयार किये जाने का निर्णय लिया गया। चुकि आज जुगल कंवर पटवारी जाडन में उपस्थित नहीं हैं तथा दलाल लक्ष्मण सेन ने भी रिश्वत राशि का आदान–प्रदान नहीं किया हैं अग्रिम ट्रेप कार्यवाही सम्भव नहीं होने से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा पूर्व में जाडन से मारवाड़ जंक्शन की तरफ खडे टवेरा वाहन मय जाप्ता को पाली की तरफ रवाना होने हिदायत दी जाकर समस्त ट्रेप दल मय ट्रेप बाक्स, ट्रेप सामग्री, पत्रावली एवं कार्यालय का डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड सहित अपने–अपने वाहनो से जाडन हाईवे से कार्यालय हाजा पाली के लिए रवाना हुए।समय 06.25 पी.एम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमरायान समस्त ट्रेप दलएसीबी कार्यालय पाली पहुँचे। तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी के पहनी हुई पेन्ट के सामने की दाहिनी जेब मे रखी फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त राशि 40,000 रूपये को गवाह श्री हसमुख दास से निकलवाई जाकर नोटो के नम्बरो का पुनः मिलान फर्द पेशकशी में अंकित नम्बरो से किया जाकर इस राशि को एक सफेद लिफाफे में डालकर उक्त लिफाफे को सुरक्षित अपने पास रखा गया। सादा वस्त्रधारी दोनो महिला कानि0 श्रीमती राधा विश्नोई एवं श्रीमती इमरती को अब कार्यवाही में आवश्यकता नहीं होने से गोपनीयता की हिदायत कर जाय तैनाती रूखसत दी गई। तत्पश्चात परिवादी श्री जयराम की दलाल लक्ष्मण सैन से हुई रूबरू वार्ता तथा पटवारी जुगल कंवर से हुई मोबाईल वार्ता जो कार्यालय के डिजिटल वाईस रिकार्डर में मौजुद मेमोरी कार्ड में रिकार्ड हैं। परिवादी व दोनों स्वतंत्र मौतबिरान भी ब्यूरों कार्यालय में उपस्थित है। इन समस्त की मौजुदगी में उक्त वार्ता को जरिये डिजिटल वाईस रिकार्डर सुन–सुनकर समझ–समझ कर कार्यालय कम्प्युटर के जरिये फर्द, फर्द ट्रान्स्क्रीप्ट वार्ता अलग से मूर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई तथा उक्त वार्ता की कम्प्युटर के माध्यम से एक पैन ड्राईव तैयार किया गया। डिजीटल वाईस रिकार्डर में लगे मेमोरी कार्ड को मूल मानते हुए सफेद कपड़े की थैली में सील मोहर किया जाकर कपड़े की थैली एवं फर्द पर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये गये तथा पैन ड्राईव को डब मानते हुए खुली हालत में रखा गया। उक्त रिकार्डशुदा वार्ता में पटवारी, दलाल लक्ष्मण सेन एवं परिवादी स्वयं की आवाज की पहचान परिवादी श्री जयराम ने की। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा उक्त वार्ता की शिल्डशुदा मेमोरी कार्ड एवं डब पैन ड्राईव को मालखाना प्रभारी श्री किशनसिंह को सुपुर्द कर दर्ज मालखाना रजिस्टर करवाया गया एवम् मालखाना डबल लॉक में सुरक्षित रखवाया गया।तत्पश्चात परिवादी श्री जयराम से आरोपी पटवारी नहीं मिली तथा उसके दलाल लक्ष्मण सेन ने अपने मोबाईल फोन से परिवादी जयराम की पटवारी से बात करवाई तो पटवारी जुगल कंवर को एसीबी कार्यवाही की भनक लग जाने से परिवादी को यह कहते हुए कि मेरे पास आपका कोई काम बाकी नही हैं, मैने आपका काम कर दिया हैं फोन काट दिया तथा दलाल लक्ष्मण सेन ने भी पटवारी द्वारा रिश्वत राशि के बारे में बात नहीं करने पर परिवादी श्री जयराम से रिश्वत राशि 40,000/– रूपये का लेन–देन नहीं किया गया हैं। इससे यह प्रतित होता है कि आरोपी पटवारी जुगल कंवर अब परिवादी श्री जयराम से किसी प्रकार की रिश्वत राशि का आदान–प्रदान नही करेंगी तथा आरोपी पटवारी अपने दलाल को भी परिवादी जयराम से रिश्वत राशि आदान–प्रदान नहीं करने बाबत् सचेत कर देगी। तत्पश्चात परिवादी श्री जयराम ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को एक प्रार्थना पत्रपेश कर निवेदन किया कि जुगल कंवर पटवारी व उसके दलाल श्री लक्ष्मण सेन को एसीबी कार्यवाही की भनक लग चुकी हैं इसलिए रिश्वत राशि नहीं लेंगे अतः 40,000/– मुझे पुनः लौटाये जाये। इस पर रिश्वत राशि

चालीस हजार रूपये पुनः परिवादी श्री जयराम को देने का निर्णय लिया गया। परिवादी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र दोनो स्वतन्त्र गवाहान को भी पढाया जाकर उनसे भी हस्ताक्षर करवाये जाकर 40,000/– रूपये के नोटो को कई बार झाटक कर परिवादी को सुपुर्द किये गये तथा रूपये रखा लिफाफा जलाकर नष्ट किया गया तथा परिवादी श्री जयराम एवं दोनो स्वतन्त्र गवाहान को रूखसत किया गया।

सम्पूर्ण कार्यवाही से पाया गया कि परिवादी श्री जयराम पटेल पुत्र श्री रतनाराम सॉखला जाति कुमावत निवासी 126 गौतम नगर, नया बस स्टेण्ड पाली कि ग्राम जाडन खालसा में कृषि भूमि खसरा संख्या 321 हैं इस भूमी के पास ही सरकारी जमीन स्थित हैं जिसका उपयोग भी लम्बे समय से परिवादी द्वारा किया जा रहा हैं तथा इस जमीन पर परिवादी का ही कब्जा हैं। परिवादी द्वारा प्रतिवर्ष धारा 91 की निर्धारित शुल्क जमा कराई जाती हैं पिछले दो–तीन वर्षो से परिवादी ने धारा 91 का शुल्क जमा नहीं करवाया। इस पर जाडन पटवारी जुगल कंवर ने कहा आपको 91 की रसीद कटवानी है तो खर्चा करना पड़ेगा तथा उसे अपने दलाल श्री प्रकाश गुर्जर या लक्ष्मण जी से मिलने के लिए कहा हैं इस पर परिवादी ने पटवारी के बताये अनुसार श्री प्रकाश गुर्जर से वार्ता की तो उसने 2.50 लाख रूपये देने के लिए कहा तथा श्री लक्ष्मण सेन ने भी परिवादी श्री जयराम को 91 की रसीद काटने के लिए पटवारी को 2.50 लाख रूपये देने को कहा। इस पर परिवादी द्वारा कार्यवाही हेतु ब्यूरो कार्यालय में रिपोर्ट पेश कि जिस पर रिश्वत राशि मांग सत्यापन के दौरान दिनांक 20.06.2023 को पटवारी जुगल कंवर के कहने पर उसके दलाल श्री लक्ष्मण सेन द्वारा पटवारी जुगल कंवर की मौजुदगी में 70,000/– रूपये रिश्वत राशि की मांग कर 20,000/– रूपये रिश्वत राशि प्राप्त कर हाथो हाथ आरोपी जुगल कंवर पटवारी को दे दी तथा दिनांक 26.06.2023 को 10,000/– रूपये रिश्वत राशि हल्का पटवारी जुगल कंवर स्वयं ने प्राप्त कर ली। शेष 40,000/– रूपये रिश्वत राशि के लेन–देन हेतु ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया गया परन्तु आरोपिया जुगल कंवर पटवारी व उसके दलाल श्री लक्ष्मण सेन को परिवादी द्वारा करवाई जा रही एसीबी कार्यवाही की भनक लग जाने से रिश्वत राशि का लेन–देन नहीं हो सका। दिनांक 13.07.2023 को रिश्वत राशि की लेनदेन हेतु पुनः कार्यवाही की गई परन्तु हल्का पटवारीजुगल कंवर पटवारी व उसके दलाल श्री लक्ष्मण सेन सन्देह हो जाने के कारण रिश्वत राशि का लेनदेन नहीं हो सका। भविष्य में भी रिश्वत राशि का लेनदेन की संभावना नहीं होने के कारण परिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश करने पर परिवादी द्वारा पेश किये गये 40,000/– रूपये पुनः लौटाये गये। ब्यूरो द्वारा कार्यवाही के दौरान इस प्रकरण में परिवादी व श्री प्रकाश गुर्जर के मध्य रिश्वत राशि के बारे में कोई वार्ता नहीं हुई हैं। आरोपियो जुगल कंवर पटवारी व उसके दलाल श्री लक्ष्मण सैन का उक्त कृत्य अन्तर्गत जुर्म धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (यथा संशोधित 2018) व 120बी भा.द.सं. का अपराध हैं।

अतः आरोपिया जुगल कंवर पुत्री श्री सुमेर सिंह उम्र 30 वर्ष पेशा नौकरी निवासी गांव सेवा, तहसील डीडवाना जिला नागौर हाल पटवारी, पटवार मण्डल जाडन तहसील मारवाड जंक्शन, जिला पाली व दलाल श्री लक्ष्मण सैन निवासी जाडन तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली (प्राईवेट व्यक्ति) के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (यथा संशोधित 2018) व 120बी भा.द.सं. के तहत प्रकरण दर्ज करने हेतु बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार की जाकर क्रमांकन हेतु सादर प्रेषित है।

भवदीय

(नरपत चंद)
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
पाली–प्रथम

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री नरपत चंद, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, पाली-प्रथम, पाली ने प्रेषित की है। रिपोर्ट के तथ्यों से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भादंसं में अभियुक्तगण 1. श्री जुगल कंवर पुत्र श्री सुमेर सिंह, पटवारी पटवार मण्डल जाडन, तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली, एवं 2. श्री लक्ष्मण जैन निवासी जाडन तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली (प्राईवेट व्यक्ति) के विरूद्ध अपराध घटित होना पाया जाता है। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 270/2023 उपरोक्त धाराओ में दर्ज कर प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई।

(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर

क्रमांकः- 2919-22 दिनांक 12.10.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, पाली।
2. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर।
3. जिला कलक्टर, पाली।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, पाली-प्रथम।

12.10.23
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर